राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक 4(4) आरडी / नरेगा / पार्ट–2 / 2006 जयपुर, दिनांकः– 9 SEP 2009

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक के कार्यो के सबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह देखने में आया है कि रोजगार सहायकों द्वारा अलग–अलग जिलों में अलग–अलग कार्य सम्पादित किये जा रहे है, जिनमें एकरुपता देखने को नहीं मिलती रोजगार सहायकों के कार्य में एकरुपता लाने के लिए यह आवश्यक है कि विभाग के निर्देश एफ 4(15) आरडी / ग्रुप–3 / 2006–07 दिनांक 01.06.06 के परिशिष्ट 6 द्वारा जिसमें ग्राम रोजगार सहायक को ग्राम पंचायत स्तर पर क्या –क्या कार्य किये जाने है, से अवगत कराया गया था, के अनुसार कार्य किया जाना है।

अतः इस सबंध में पुनः ग्राम रोजगार सहायक को ग्राम पंचायत स्तर पर जो कार्य किये जाने है, सलंग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। इसी के अनुसार ग्राम रोजगार सहायक को कार्य किया जाना है। योजनान्तर्गत कार्यो की जांच ग्राम सेवक, तकनीकी सहायक, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ही की जानी है, ताकि ग्राम रेाजगार सहायक पंचायत स्तर पर बैठ कर योजना का रिकार्ड संधारित कर सकें।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

7/9

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः– अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

परियोजना निदेशक, ईजीएस

ग्राम सहायक की सेवाएं

1. रोजगार चाहने वालों का आवेदन पत्र प्राप्त करना, प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन करना।
2. सत्यापन उपरान्त पंजीकरण का कार्य करना।
3. जॉब कार्ड जारी करना।
4. पंचायत क्षेत्र में कार्य मांगने वालों के आवेदन पत्र स्वीकार करना।
5. निर्धारित अवधि में कार्य प्रारंभ कर रोजगार सुनिश्चित करना।
6. कार्य पर लगे श्रमिकों के लिए मस्ट्रोल का संधारण करना।
7. ग्राम पंचायत में प्राप्त राशि लेखा-जोखा रखना।
8. कार्य पर लगे श्रमिकों का जॉब कार्ड में इन्द्राज करना।
9. ग्राम संभाओं का आयोजन करना।
10. योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।
11. वार्षिक कार्य योजना का ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित करना।
12. योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार के लिए मुख्य-मुख्य स्थानों पर दीवार पेन्टिंग कराना।
13. योजनान्तर्गत समस्त प्रकार का रिकार्ड का कम्प्यूटरराईजेशन कराना।
14. मस्ट्रोल का संधारण।
15. निर्धारित अवधि में भुगतान सुनिश्चित करना।
16. निगरानी समितियों को वांछित सूचना उपलब्ध कराना।
17. सूचना के अधिकार के तहत सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरांत निर्धारित शुल्क जमा कर सूचना उपलब्ध कराना।
18. सामाजिक अंकेक्षण कराना।
19. अन्य कार्य जो ग्राम पंचायत स्तर पर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है, का संपादन करना।